रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112025-268041 CG-DL-E-28112025-268041

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5236]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947

No. 5236]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5414(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो नियमावली, 2018 के नियम 3 और नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को संबंधित रिक्ति के सापेक्ष भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद के सदस्य के रूप में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अविध के लिए नियुक्त करती है:-

क) केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि

विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव,
 उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

- सदस्य

2) विशेष सचिव/अपर सचिव और वित्तीय सलाहकर, उपभोक्ता मामले, खाध और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली।

- सदस्य

7918 GI/2025 (1)

अपर सचिव/संयुक्त सचिव,
 इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

- सदस्य

ख) राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि –

- 4) उत्तर प्रदेश राज्य की गुणवत्ता एवं मानकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य
- 5) छत्तीसगढ राज्य की गुणवत्ता एवं मानकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य
- 6) राजस्थान राज्य की गुणवत्ता एवं मानकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य
- 7) कर्नाटक राज्य की गुणवत्ता और मानकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य
- 8) त्रिपुरा राज्य की गुणवत्ता और मानकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य

ग) अखिल भारतीय स्तर के उद्योग संघों या महासंघों के प्रतिनिधि (अध्यक्ष, महानिदेशक या महासचिव)

9) अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) मंतोष सोंधी केंद्र 23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 - सदस्य

- सदस्य

- 10) अध्यक्ष, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग संघ (ईएलसीआईएनए) एल्सीना हाउस, 422 ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज III,
- नई दिल्ली -110020
- 11) अध्यक्ष, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) पीएचडी हाउस, 4/2, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, ब्लॉक ए, एनआईपीसीसीडी कैंपस, हौज़ खास, नई दिल्ली, दिल्ली 110016

- सदस्य

घ) मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

12) अध्यक्ष, उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र (सीईआरसी) 801, ग्राहक सुविधा केंद्र, साकार 2, पुलिस स्टेशन, एनआर. एलिसब्रिज, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात 380006 - सदस्य

ड़) किसानों के हितों या किसान संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

13) अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान महासंघ नई दिल्ली स्थित कृषि संघ,

- सदस्य

707, रोहित हाउस, टॉल्स्टॉय रोड, अतुल ग्रोव रोड, जनपथ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली 110001

> [फा. सं. वी-2/1/2021-बीआईएस] भरत खेड़ा, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5414(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) read with Rule 3 and Sub-rule 1 of Rule 4 of Bureau of Indian Standards Rules, 2018; the Central Government hereby appoints the following as members of the Governing Council of the Bureau of Indian Standards against respective vacancies for a period of two years with effect from the date of publication of this notification:-

a) Representatives of the Ministries and Departments of the Central Government -

 Special Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary, Affairs, Krishi Bhawan, New Delhi. -Member Department of Consumer

 Special Secretary/Additional Secretary and Financial Adviser Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Krishi Bhawan, New Delhi. -Member

 Additional Secretary/Joint Secretary Ministry of Steel, Udyog Bhawan, New Delhi. -Member

b) Representatives from the State Government and the Union Territories-

4. Minister-in-charge of the Department having administrative control over quality and standards of State of Uttar Pradesh

-Member

5. Minister-in-charge of the Department having administrative control over quality and standards of State of Chhattisgarh

-Member

6. Minister-in-charge of the Department having administrative control over quality and standards of State of Rajasthan

-Member

7. Minister-in-charge of the Department having administrative control over quality and standards of State of Karnataka

-Member

8. Minister-in-charge of the Department having administrative control over quality and standards of State of Tripura

-Member

c) Representative (President or Director General or Secretary General) of Industry Associations or Federations of All-India level-

President, Confederation of Indian Industry (CII)
 The Mantosh Sondhi Centre23, Institutional Area,
 Lodi Road, New Delhi - 110 003

-Member

10. President, Electronic Industry Association of India (ELCINA) ELCINA House, 422, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi – 110020

-Member

11. President, PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) PHD House, 4/2 August Kranti Marg, Siri Institutional Area, Block A, Nipccd Campus, Hauz Khas, New Delhi, Delhi 110016

-Member

d) Representatives of recognized Consumer Organizations and persons representing consumer interests

 President, Consumer Education and Research Centre (CERC) 801, Grahak Suvidha Kendra, Sakar 2, Police Station, Nr. Ellisbridge, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujarat 380006 -Member

e) Person representing farmers' interests or farmers associations

 President, All India Farmers' Alliance Agricultural association in New Delhi 707, Rohit House, Tolstoy Road, Atul Grove Road, Janpath, Connaught Place, New Delhi- 110001 -Member

[F. No. V-2/1/2021-BIS] BHARAT KHERA, Addl. Secy.